2022 का विधेयक संख्यांक 92

[दि दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति लगाया जाएगा ।

साधारण ।

2. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), 1957 का 66—

(क) "निगम", "प्रत्येक निगम", शब्द अधिनियम में, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "निगम" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) धारा 36 की उपधारा (3), धारा 41 की उपधारा (1), धारा 43 के खंड (म), धारा 70 के खंड (ख) और खंड (ग) तथा धारा 109 की उपधारा (1), धारा 147 की उपधारा (1), धारा 301 में खंड (घ), धारा 355, धारा 394 की उपधारा (1), धारा 399 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 481 में "निगम का क्षेत्र" शब्द जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "दिल्ली" शब्द व्याकरणीय नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार रखा जाएगा ;

(ग) धारा 1, धारा 3क, धारा 5, धारा 6, धारा 32क, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 193, धारा 330क और धारा 499 में, "सरकार" शब्द जहां कहीं वह आता है, के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (6) में "एक निगम" शब्दों के स्थान पर "निगम" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) खंड (7) में "दिल्ली का निगम" शब्दों के स्थान पर "दिल्ली का नगर निगम" शब्द रखे जाएंगे ;

अध्याय 2 के शीर्ष और उपशीर्ष का प्रतिस्थापन ।

4. अध्याय 2 में, शीर्ष और उपशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"दिल्ली नगर निगम की स्थापना

नगर निगम का गठन"।

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें, दिल्ली के नगर शासन के लिए दिल्ली नगर निगम नामक एक निगम होगा ।";

(ख) उपधारा (2) में "सरकार" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5) और उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(5) निगम की स्थापना के समय निगम में पार्षदों के स्थानों की कुल संख्या और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाएं ।

(6) निगम की स्थापना के पश्चात् प्रत्येक जनगणना पूरी होने पर, उस जनगणना पर अभिनिश्चित दिल्ली की जनसंख्या के आधार पर स्थानों की संख्या, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाएगी और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों का अनुपात, जहां तक हो सके, वही होगा, जो दिल्ली की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का है :

परंतु किसी भी दशा में कुल स्थान दो सौ पचास से अधिक नहीं होंगे और निगम में स्थानों की संख्या का अवधारण केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम की स्थापना के समय किया जाएगा :

परंतु यह और कि यथा पूर्वोक्त अनुसार स्थानों का अवधारण, निगम की कालावधि के अवसान तक, निगम की तब की संरचना को प्रभावित नहीं करेगा :

परंतु यह भी कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम में विभिन्न वार्डों को ऐसी रीति में आबंटित किया जा सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश करे ।"।

धारा 42 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 42 में खंड (बक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(बख) बेहतर, तीव्र, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन के लिए किसी भी समय– कहीं भी नागरिकों की सेवाओं के लिए ई-गर्वनेंस प्रणाली सुनिश्चित तथा स्थापित करना ;" ।

धारा 90क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 90क के स्थान निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

तत्कालीन निगमों के अधिकारियों का निगम का अधिकारी बन जाना ।

"90क. (1) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निगम की स्थापना की तारीख को, तत्कालीन उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्व दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी, तुरंत प्रभाव से, निगम के अधिकारी और कर्मचारी बन जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, सरकार ऐसे नियम बना सकेगी, जो अपेक्षित हों ।"।

धारा 203 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (3) के स्थान निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों के उपबंधों के अनुसरण में पहले ही बनाई गई संविदाएं, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित निगम के निमित्त आयुक्त द्वारा निष्पादित की गई समझी जाएंगी और ऐसी संविदाओं की विधिमान्यता की अवधि के अवसान तक जारी रहेंगी ।"।

धारा 388 का लोप ।

9. मूल अधिनियम की धारा 388 का लोप किया जाएगा ।

धारा 444 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम में, धारा 444 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी नोटिसों, समनों और अन्य दस्तावेजों की तामील, उसकी एक प्रति प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता को, जो तामील को स्वीकार करने के लिए सशक्त है, सम्यक् रजिस्ट्रीकृत डाक अभिस्वीकृति का परिदान या पारेषण करके या स्पीड पोस्ट या ऐसी कूरियर सेवा द्वारा की जा सकेगी, जैसा उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाए या दस्तावेजों के पारेषण के अन्य साधनों (जिसके अंतर्गत फैक्स, मैसेज या इलेक्ट्रोनिकी मेल सेवा है) जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए ।"।

धारा 479 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 479 में,—

(क) उपधारा (2) में "धारा 31" शब्द और अंक के पश्चात् "और धारा 3क की उपधारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में "धारा 3 की उपधारा (2)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 484क का लोप ।

12. मूल अधिनियम की धारा 484क का लोप किया जाएगा ।

धारा 514क के स्थान पर नई धारा 514क और 514कक का प्रतिस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 514क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

विशेष अधिकारी की नियुक्ति ।

"514क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे तो, किसी व्यक्ति को, जो विशेष अधिकारी के नाम से ज्ञात होगा निगम की शक्तियों का तब तक प्रयोग करने और उसके कर्तव्यों का तब तक निर्वहन करने के लिए, जब तक उस तारीख को, जिसको दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ के पश्चात् उसकी पहली बैठक आयोजित नहीं कर दी जाती है, नियुक्त कर सकेगी ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

514कक. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ से ही,—

(क) उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्व दिल्ली नगर निगम (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् तत्कालीन निगम कहा गया है) को दिल्ली नगर निगम के साथ सम्मिलित कर दिया जाएगा और वह उसका एक भाग बन जाएंगे ;

(ख) किसी संविदा या किसी अन्य लिखत में तत्कालीन निगमों के प्रति किसी निदेश को दिल्ली नगर निगम के प्रति निदेश समझा जाएगा ;

(ग) तत्कालीन निगमों की या उससे संबंधित सभी जंगम और स्थावर संपत्तियां, दिल्ली नगर निगम में निहित हो जाएंगी ;

(घ) तत्कालीन निगम के सभी अधिकार और दायित्व, दिल्ली नगर निगम को अंतरित हो जाएंगे और उसके अधिकारी और दायित्व हो जाएंगे ;

(ङ) कोई लंबित कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत अनुशासनिक, माध्यस्थम, अपील या किसी भी प्रकृति की तत्कालीन निगमों के द्वारा या उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाहियां हैं, दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी रहेंगी या उसके द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त रहेंगी ;

(च) ऐसे प्रारंभ से पूर्व बनाए गए कोई नियम, विनियम और उपविधियां, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से संगत हैं, नए नियम, विनियम और उपविधियां बनाए जाने तक लागू रहेंगे ।"।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

14. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 को दिल्ली नगरपालिक सरकार से संबंधित विधियों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । दिल्ली की नगरपालिक शासन के लिए एक निगम दिल्ली नगर निगम के रूप में उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया था । वर्ष 2011 में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा उक्त अधिनियम को संशोधित किया गया था जिससे उक्त निगम का तीन पृथक् निगमों में विभाजन हो गया ।

2. तत्कालीन दिल्ली नगर निगम के तीन भागों में विभाजन का मुख्य उद्देश्य जनता को अधिक प्रभावी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के हित में दिल्ली में विभिन्न केंद्रों में सुसंबद्ध नगरपालिकाओं का सृजन करना था । तथापि, तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का तीन भागों में विभाजन राज्यक्षेत्रीय प्रभागों और राजस्व सृजन की संभाव्यता के अर्थ में असमान था । परिणामस्वरूप, तीन निगमों के पास उपलब्ध संसाधनों और उनकी बाध्यताओं की तुलना में बड़ा अंतर था ।

3. समय के साथ, यह अंतराल बढ़ा ही है, दिल्ली के तीन नगर निगमों की वित्तीय कठिनाइयों में वृद्धि हुई, जिससे वह अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन और सेवानिवृत्ति फायदों का संदाय करने में अक्षम हो गए । वेतन और सेवानिवृत्ति फायदों के संदाय में विलंब का परिणाम नगर निगम कर्मचारियों द्वारा निरंतर हड़तालों के रूप में हुआ है, जिसने न केवल नागरिक सेवाओं को प्रभावित किया किन्तु इसने सफाई और स्वच्छता की सहवर्ती समस्याएं भी उत्पन्न की हैं । तीन नगर निगमों की ऐसी वित्तीय कठिनाइयों का परिणाम उनकी संविदाकारी तथा कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने में अनियमित विलंब के रूप में हुआ और इसने दिल्ली में नागरिक सेवाओं को बनाए रखने में गंभीर रुकावटें उत्पन्न की ।

4. पिछले दस वर्षों का अनुभव यह दर्शित करता है कि दिल्ली में तीन समवर्ती नगर निगमों के सृजन का मुख्य उद्देश्य, जो जनता को प्रभावी नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराना था । संसाधनों की अपर्याप्तता और निधियों के आबंटन और जारी करने में अनिश्चितता के कारण, तीनों निगम गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिससे उनके लिए वांछित स्तर पर दिल्ली में नागरिक सेवाओं को बनाए रखना कठिन हो गया है । भारत की राजधानी में नागरिक सेवाओं के परिदान का स्तर और क्वालिटी की उसकी विशिष्ट प्रास्थिति के अनुसार होने की आवश्यकता है और इसे वित्तीय कठिनाइयों और कृत्यशील अनिश्चितताओं की सनक के अधीन नहीं छोड़ा जा सकता है ।

5. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022—

(i) तीन नगर निगमों को एक, एकीकृत और भली प्रकार सुसज्जित अस्तित्व में एक करने के लिए है ;

(ii) संसाधनों के सहक्रियाशील और सामरिक योजना तथा अनुकूलतम उपयोग के लिए एक सुदृढ़ तंत्र का सुनिश्चय करने के लिए है ;

(iii) दिल्ली के लोगों के लिए नागरिक सेवाओं में अधिक दक्ष परिदान, अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन लाने के लिए है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
22 मार्च, 2022

अमित शाह

उपाबंध

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) से उद्धरण

* * * * *

महापौर और उपमहापौर की पदावधि और महापौर के लिए सुविधाएं तथा उसके विशेषाधिकार ।

36. (1) * * * *

(3) महापौर की निगम के सभी अभिलेखों तक पूरी पहुंच होगी और वह—

दिल्ली के नगर पालिक शासन से किसी भी विषय पर आयुक्त से रिपोर्ट अभिप्राप्त कर सकता है ।

* * * * *

अध्याय 3

निगम के कृत्य

निगम की साधारण शक्तियां ।

41. (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, उपविधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दिल्ली का नगरपालिक शासन निगम में निहित होगा ।

* * * * *

निगम वैवेकिक कृत्य ।

43. सरकार के समय-समय पर किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, निगम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए या पूर्णतः या भागतः व्यवस्था कर सकता है, अर्थात् :--

* * * * *

(म) निगम द्वारा अनुमोदित विकास स्कीमों के अनुसार दिल्ली का विकास ;

* * * * *

आयुक्त आदि से दस्तावेज पेश करने और विवरणियां, रिपोर्टें आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने की निगम की शक्ति ।

70. (1) निगम किसी भी समय आयुक्त से अपेक्षा कर सकता है कि वह—

* * * * *

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन के या दिल्ली नगर पालिक शासन के संबंध में किसी विषय की बाबत या उसके संबंध में कोई विवरणी, योजना, प्रक्कलन, विवरण, लेखा या आंकड़े दे ;

(ग) इस अधिनियम के प्रशासन के या दिल्ली नगर पालिक शासन की बाबत या उसके संबंध में किसी विषय पर स्वयं अपनी रिपोर्ट दे या अपने अधिनस्थ किसी विभाग के अध्यक्ष से रिपोर्ट अभिप्राप्त करे और उस पर अपनी टिप्पणी सहित रिपोर्ट दे ।

* * * * *

बजट प्रक्कलन

बजट प्रक्कलनों का अंगीकार किया जाना ।

109. (1) निगम प्रत्येक वर्ष मार्च इकतीसवें दिन या उसके पूर्व आगामी वर्ष के लिए बजट प्रक्कलन अंगीकार करेगा जो दिल्ली के नगरपालिक शासन मद्दे निगम द्वारा प्राप्त आय और उपगत व्यय का प्रक्कलन होगा ।

* * * * *

संपत्ति के अन्तरण पर शुल्क

संपत्ति के अन्तरण पर शुल्क और उसके निर्धारण की पद्धति ।

147. (1) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, निगम दिल्ली की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के अन्तरण पर शुल्क इस धारा में इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उद्ग्रहित करेगा ।

* * * * *

नए सार्वजनिक पथ बनाने की शक्ति ।

301. आयुक्त, निगम की मंजूरी से किसी भी समय—

* * * * *

(घ) इस बात के होते हुए भी कि किसी सार्वजनिक पथ के निकट किसी भवन बनाने की प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है, दिल्ली के किसी भाग में एक या अनेक पथों की स्थिति और दिशा निश्चित और अवधारित कर सकता है ।

* * * * *

नगरपालिक अभिकरण के माध्यम से गन्दगी और प्रदूषित प्रदार्थों का संग्रहण और हटाया जाना ।

355. (1) आयुक्त के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि ऐसी गन्दगी और प्रदूषित तता घृणाजनक पदर्थों को दिल्ली के किसी भाग में स्थित सभी परिसरों से ऐसे शौचालयों, मूत्रालयों और मल कुंडों से, जो नगरपालिका की नाली के साथ नाली से जुड़े हुए नहीं है, नित्य संग्रह करने, हटाने और व्ययन करने के लिए उपाय करें ।

(2) दिल्ली के ऐसे भाग में, और किन्हीं ऐसे परिसरों में चाहे वे कहीं भी स्थित हो, जिनमें नगरपालिक नाली से जुड़े हुए शौचालय या मूत्रालय हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आयुक्त द्वारा या उसकी ओर से नियोजित नहीं है, आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के सिवाय, यह विधि पूर्ण नहीं होगा कि वह सफाई कर्मचारियों के कर्तव्य में से, किसी का निर्वहन करे ।

* * * * *

अध्याय 18

जन्म-मरण संबंधी आंकड़े

मूख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रारों की नियुक्ति ।

394. (1) नगरपालिक स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली के लिए मूख्य जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार होगा और वह दिल्ली में होने वाले जन्म और मृत्यु का एक रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखेगा जो उपविधियों द्वारा विहित किया जाए ।

* * * * *

कुत्ते

कुत्तों का रजिस्ट्रीतकरण और नियंत्रण ।

399. (1) निगम इस निमित्त बनाई गई उपविधियों द्वारा—

(क) यह अपेक्षा कर सकता है कि दिल्ली के भीतर रखे जाने वाले सभी कुत्तों का रजिस्ट्रीकरण आयुक्त द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा किया जाए ;

* * * * *

उपविधियां बनाने की शक्ति ।

481. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए निगम, किन्हीं ऐसी उपविधियों के अतिरिक्त जिन्हें बनाने के लिए वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध द्वारा सशक्त है, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करने

के लिए उपविधियां बना सकता है, अर्थात् :--

क—कराधान से संबंधित उपविधियां

(1) आयुक्त द्वारा कर पुस्तकों और रजिस्टरों का रखा जाना और वे विशिष्टियां जो ऐसी पुस्तकों और रजिस्टरों में समाविष्ट होनी चाहिए ;

(2) ऐसी पुस्तकों और रजिस्टरों का निरीक्षण और उनकी प्रतियां और उनमें से उद्धरण अभिप्राप्त करना तथा उसके लिए प्रभार्य फीस, यदि कोई हो ;

(3) निगम द्वारा समय-समय पर अवधारित करों की दरों का प्रकाशन ;

(4) करों के संदाय के लिए दायी व्यक्तियों से आयुक्त द्वारा जानकारी और विवरणियों की अध्यपेक्षा करना ;

(5) जिस यान या जीवजन्तु के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर देय है, उसके स्वामी या कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा आयुक्त को दी जाने वाली सूचना ;

(6) किसी ऐसे यान के चालक द्वारा पहने जाने वाला बिल्ला और ऐसे यान पर नम्बर प्लेट का संप्रदर्शन ;

(7) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के संदाय के लिए दायी व्यक्तियों द्वारा विवरणियों का पेश किया जाना ;

(8) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त दिल्ली के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन निगम को संदेय अतिरिक्त स्टांप शुल्क का संग्रहण, निगम को ऐसे शुल्क का कालिक संदाय और ऐसे रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा उसके संबंध में पृथक् लेखाओं का रखा जाना ; 1908 का 16

(9) इस अधिनियम के अधीन करों के उद्धग्रहण, निर्धारण, संग्रहण, प्रतिदाय या परिहार से संबंधित कोई अन्य विषय ;

* * * * *

ङ—पथों से संबंधित उपविधियां

(1) किसी संकर्म के चालू रहने के दौरान पथों का बन्द किया जाना और ऐसे संकर्म के चालू रहने के दौरान आनुकल्पिक मार्ग ;

(2) त्यौहारों के दौरान अस्थायी प्रकार के पथों का बनाया जाना ;

(3) पथों से लगे हुए भवनों के निर्माण या मरम्मत के दौरान ऐसे भवनों पर पाड़ लगाना ;

(4) किसी प्राइवेट व्यष्टि को किसी सार्वजनिक पथ को खोदने या तोड़ने की जब अनुज्ञा मंजूर की जाए तब बरती जाने वाली पूर्वावधानियां और पथ को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिए संदत्त की जाने वाली फीस ;

(5) वस्तुओं के विक्रय के लिए या कोई अजीविका चलाने के लिए या कोई बूथ या स्टाल लगाने के लिए खोमचों वालों या फेरी वालों द्वारा किसी पथ या स्थान के प्रयोग या अधिभोग के लिए अनुज्ञा, उसका विनियमन या प्रतिषेध या तथा ऐसे अधिभोग के लिए प्रभार्य फीस ;

(6) पथों के निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण, नामकरण, संख्यांकन करने और उन्हें प्रकाशयुक्त रखने से संबंधित कोई अन्य विषय जिसके लिए उपबंध करना आवश्यक है अथवा किया जाना चाहिए ।

* * * * *

छ—स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य से संबंधित उपविधियां

(1) शौचालय और मूत्रलयों की स्थिति ;

(2) शौचालयों और भवनों या विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त स्थानों के बीच हवा के लिए स्थान की व्यवस्था ;

(3) भवनों की सफेदी करना ;

(4) नए बनाए गए भवनों में जिनमें दस या अधिक शौचालय अपेक्षित हैं, झाड़ूकशों के लिए आवास सुविधा की व्यवस्था ;

(5) जीवजन्तुओं या जीवजन्तुओं के किसी वर्ग को रखने या झुंड में रखने का विनियमन या प्रतिषेद् ताकि लोक स्वास्थ्य के लिए खतरे का निवारण हो सके ;

(6) दिल्ली की सीमाओं के भीतर भटके वाले स्वामीविहीन जीवजन्तुओं का अभिग्रहण और कांजी हाउस का विनियमन और नियंत्रण ;

(7) सार्वजनिक स्नान और धुलाई के स्थानों का नियत किया जाना और उसके प्रयोग का विनियमन ;

(8) खतरनाक बीमारियों के प्रसार की रोकथाम ;

(9) किसी संक्रमण या सांसर्गिक रोग से पीड़ित जीवजन्तुओं को या जिन जीवजन्तुओं के बारे में युक्तियुक्त रूप से यह संदेह कि वे उक्त रोग से पीड़ित हैं, दिल्ली के किसी भाग से अलग करना या हटाना या पृथक् करना या नष्ट करना ;

(10) सार्वजनिक जल प्रदाय के स्रोतों और साधनों तथा जल वितरण के साधित्रों का अधिक्षण, विनियमन और संरक्षण तथा क्षति, संदुषण या अतिचार से उनका बचाव ;

(11) अनिवार्य रूप से वेक्सीन का टीका और टीका लगाना ;

(12) शवों का उचित प्रकार से क्रियाकर्म, ऐसे क्रियाकर्म के लिए श्मशानों और कब्रिस्तानों का विनियमन और प्रबंध और जहां ऐसे स्थानों की व्यवस्था और अनुरक्षण नगरपालिक निधि के व्यय पर किया जाता है ऐसे स्थानों के प्रयोग के लिए प्रभार्य फीस ;

ज—जन्म-मरण के आंकड़ों से संबंधित उपविधियां

(1) अध्याय 18 के अधीन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं विहित करना ;

(2) जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण करना तथा जनगणना करना ।

झ—लोक सुरक्षा और न्यूसेंसों के निवारण से संबंधित उपविधियां

स्वच्छता या रोगों के निवारण या लोक स्वास्थ्य अथवा सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे कार्य का विनियमन या प्रतिषेध जो न्यूसेंस उत्पन्न करता है या जिससे न्यूसेंसे उत्पन्न होने की संभाव्यता है तथा जिसके विनियमन या प्रतिषेध के लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई उपबंध नहीं किया गया है ।

ञ—बाजारों, वधशालाओं, व्यापारों और उपजीविकाओं से संबंधित उपविधियां

(1) वे दिन और अवधि जिसके दौरान बाजार या वधशाला को उपजीविका के लिए खुला रखा जा सकता है ;

(2) बाजारों और वधशालाओं की डजाइन, संवातन और जल निकास का विनियमन तथा उनके निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियां ;

(3) बाजारों और वधशालाओं तथा उनसे संलग्न भूमियो और भवनों का साफ और स्वच्छ स्थिति में रखा जाना ; वहां से गन्दगी, कूड़े और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक पदर्थ का हटाया जाना और वहां शुद्ध जल का प्रदाय तथा उन बाजारों और वधशालाओं का प्रयोग करने वाले तथा वहां आने-जाने वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालयों और मूत्रालयों की व्यवस्था ;

(4) वह रीति जिससे जीवजन्तुओं को वधशाला में ग्रहण किया जाएगा ;

(5) वह रीति जिससे जीवजन्तुओं वध किया जाएगा ;

(6) बाजारों के भवनों और बाजारों के स्थानों में जनसाधारण के सुविधापूर्ण उपयोग के लिए स्टालों के बीच में पर्याप्त चौड़ाई वाले मार्गों की व्यवस्था करना तथा ऐसे मार्गों का अधिक्रमण निवारित करना ;

(7) बाजार के भवनों और बाजार के स्थानों में विभिन्न वर्गों की वस्तुओं के लिए पृथक् क्षेत्र निश्चित करना ;

(8) वध के लिए प्रस्तावित ऐसे जीवजन्तुओं का जो, रोग के कारण या किसी अन्य कारण से, मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं है, व्ययन या निष्ट किया जाना ;

(9) ऐसे पशुशवों का नष्ट किया जाना जो रोग या किसी अन्य कारण से वध के पश्चात् मानव उपभोग के लिए ठीक नहीं पाए जाते हैं ;

(10) वधशालाओं में जीवजन्तुओं के प्रवेश और ऐसे जीवजन्तुओं के शवों का वध के पश्चात् बाहर लाए जाने का विनियमन तथा वधशालाओं के प्रयोग के लिए नियत फीस ;

(11) ऐसे जीवजन्तुओं की समुचित अभिरक्षा और देख-रेख जिन्हें रखने के लिए धारा 417 के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है ;

(12) दिल्ली के भीतर जीवजन्तुओं और मास के आयात का विनियमन ;

(13) दिल्ली के भीतर परिसरों और अस्पतालों या गौशालाओं या भेड़ों, बकरियों या भैंसों के रखने के लिए स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक बनाना तथा ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए संदेय फीस और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकती हैं, उनसे इंकार किया जा सकता है ; उन्हें निलंबित या प्रतिसंगृहित किया जा सकता है ;

(14) सरायों, हटलों, डाक बंगलों, वासों, बोर्डिंग हाउसों, किराए के रिहायशी घरों, निवासीय कल्बों, रेस्तराओं, भोजनालयों, कैफों, रिफ्रेशमेंट रूमों और सार्वजनिक मनो-विनोद, मनोरंजन या विश्राम के स्थानों का विनियमन ;

(15) ऐसे स्थानों का नियंत्रण और अधिक्षण जहां खतरनाक या घृनोत्पादक व्यापार चलाए जाते हैं जिससे कि वहां सफाई रखी जा सके अथवा उनसे उत्पन्न होने वाले या उत्पन्न होने के लिए संभावित क्षतिकारक, घृनोत्पादक या खतारनाक प्रभावों को अत्यन्त कम किया जा सके ;

(16) इश्तहारों और विज्ञापनों के लगाए जाने का, तथा नामपट्टों, साइन-बोर्डों और साइन पोस्टरों की स्थिति, आकार, रंग या शैली का विनियमन ;

(17) वस्तुओं के विक्रय की रीति का नियतन, अर्थात् ऐसा विक्रय माप से होगा या तोल से या प्रति वस्तु के अनुसार होगा या किसी अन्य रीति से ;

(18) कारखाने, कर्मशाला या व्यापार परिसर स्थापित करने की अनुज्ञा देने की बाबत प्रक्रिया ;

(19) कारखानों, कर्मशालाओं और व्यापार परिसरों में धुएं का विनियमन ;

(20) कारखानों, कर्मशालाओं और व्यापार परिसरों में स्वच्छता संबंधित दशाओं का विनियमन ;

(21) किसी कारखाने, कर्मशाला या व्यापार परिसर में भाग, संपीड़ित वायु, विद्युत या अन्य यांत्रिक साधन से बजाए जाने वाली सीटी, बिगुल, साइरन या हार्न के प्रयोग का विनियमन ;

(22) बाजार के भवन, बाजार के स्थान, वधशाला या किसी कारखाने, कर्मशाला या व्यापार परिसर में न्यूसेंस का निवारण ।

ट—सुधार से संबंधित उपविधियां

(1) किसी सुधार स्कीम या पुनर्वास स्कीम का रूप और विषयवस्तु ;

(2) ऐसी स्कीमों को तैयार करने, पेश करने, अनुमोदित करने और मंजूर करने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(3) किसी स्कीम को तैयार करने, अनुमोदित करने या मंजूर करने से पूर्व की जा सकने वाली स्थानीय जांच और अन्य सुनवाइयां ;

(4) सुधार योजना या पुनर्वास स्कीम के अनुमोदन और मंजूरी के पश्चात् उसमें फेर-फार करना ।

ठ—प्रकीर्ण विषयों से संबंधित उपविधियां

* * * * *

(2) वे परिस्थितियां जिनमें और वह रीति जिससे दिल्ली में भूमि या भवन के स्वामियों से, जो दिल्ली से अस्थायी तौर पर अनुपस्थित हैं या जो दिल्ली के निवासी नहीं है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई किन्हीं उपविधियों के सभी या किसी प्रयोजन के लिए, दिल्ली के भीतर या निकट निवास करने वाले व्यक्तियों को अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने की अपेक्षा की जा सकती है ;

(3) स्कूलों का अनुरक्षण और साधारणतया शिक्षा का उन्नयन ;

(4) नगरपालिक अस्पतालों और औषधालयों का विनियमन और नियंत्रण ;

(5) निम्नलिखित के लिए अनुज्ञप्ति आवश्यक बनाना, अर्थात् :--

(क) अवक्रय के लिए रखी गई या चलाई जा रही या वस्तुओं की फेरी लगाने के लिए प्रयुक्त ऐसी भाड़ा गाड़ियों, साईकिलरिक्शाओं, ठेलों और रेहड़ियों के स्वत्वधारियों या चालकों के लिए ;

(ख) माल के प्रवहन के लिए भार ढोने वालों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ;

(6) चौथी अनुसूची के प्रयोजनों के लिए सिनेमा, थियेटरों का वर्गीकरण ;

(7) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियों द्वारा विहित या विहित किए जा सकने वाले कोई अन्य विषय अथवा ऐसे विषय जिनके संबंध में इस अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है या पर्याप्त उपबंध नहीं है और जिसके लिए उनकी राय में दिल्ली दक्ष नगरपालिक शासन के लिए ऐसा उपबंध आवश्यक है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई जाने वाली कोई उपविधि निगम की स्थपना के एक वर्ष के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई जा सकती है, तथा इस प्रकार बनाई गई कोई उपविधि नगम द्वारा उपधारा (1) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगम द्वारा परिवर्तित या विखंडित की जा सकती है ।

* * * * *

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली नगर निगम अधिनयम, 1957 है । 1957 का 66

(2) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इसका विस्तार केवल दिल्ली पर है ।

(3) इस धारा के सिवाय जो तुरन्त प्रवृत्त होगी, इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा. नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने प्रति निर्देश है ।

* * * * *

निगम के क्षेत्र का जोन तथा वार्डों में विभाजन ।

3क. (1) प्रत्येक निगम का क्षेत्र, जोन की संख्या में विभाजित किया जाएगा तथा प्रत्येक जोन चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार वार्डों की संख्या में विभाजित किया जाएगा ।

(2) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा चौदहवी अनुसूची मे विनिर्दिष्ट किसी जोन या वार्ड का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है तथा उनकी संख्या या नाम में परिवर्तन कर सकती है ।

* * * * *

पार्षदों और परिमुख्यों का निर्वाचन

वार्डों का परिसीमन ।

5. (1) पार्षदों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए दिल्ली को एक-सदस्य वार्डों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा जिससे संपूर्ण दिल्ली में प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या जहां तक हो सके समान रहे ।

(2) केन्द्रीय सरकार—

(क) वार्डों की संख्या ;

(ख) प्रत्येक वार्ड विस्तार ;

(ग) वे वार्ड जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित होंगे ;

(घ) वे वार्ड जिनमें स्त्रियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे ; और

(ङ) वह रीति जिससे स्थानों को धारा 3 की उपधारा (6) और उपधारा (8) के अधीन चक्रानुक्रमित किया जाएगा ।

* * * * *

परिसीमन आदेशों में परिवर्तन या संशोधन करने की शक्ति ।

6. निगम धारा 5 के अधीन किए गए किसी आदेश का केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में आदेश द्वारा, समय-समय पर परिवर्तन या संशोधन कर सकता है ।

* * * * *

आस्तियों की घोषणा ।

32क. (1) प्रत्येक पार्षद, धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात् तीस दिन के भीतर और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी मास के अंतिम दिन के पूर्व, महापौर के पास अपने और अपने कुटुंब के सदस्यों को स्वामित्वाधीन सभी आस्तियों की एक घोषणा ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा विहित करे, फाइल करेगा और ऐसी घोषणा निगम के अभिलेखों का भाग होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कुटुंब" से, पार्षद का /की पति/पत्नी और आश्रित संतान अभिप्रेत है ।

(2) कोई व्यक्ति पार्षद होने के लिए निरर्हित होगा,--

(क) यदि वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा फाइल करने में असफल रहता है; या

(ख) यदि वह उस उपधारा के अधीन ऐसी घोषणा फाइल करता जो मिथ्या है या जिसके बारे में मिथ्या होने का उस ज्ञान या विश्वास है ।

* * * * *

आयुक्त के वेतन और भत्ते ।

55. आयुक्त को नगरपालिक निधि में से उतना मासिक वेतन और उतने मासिक भत्ते, यदि कोई हों, संदत्त किए जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं और उसे आवास-सुविधा, सवारी तथा तत्समान ऐसी सुविधाएं (यदि कोई हों) दी जाएंगी जो उस सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाएं ;

परन्तु आयुक्त के वेतन में कोई फेरफार उसकी नियुक्ति के पश्चात् इस प्रकार से नहीं किया जाएगा जो उसको अलाभकारी हो ।

आयुक्त को अनुपस्थिति छुट्टी ।

56. (1) आयुक्त को स्थायी समिति द्वारा छूट्टी मंजूर की जा सकता है ।

(2) जब कभी आयुक्त को ऐसी छुट्टी मंजूर की जाए तब केन्द्रीय सरकार उसके स्थान पर आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी ।

आयुक्त की मृत्यु, उसके त्यागपत्र या हटाए जाने की दशा में स्थानापन्न आयुक्त की नियुक्त ।

57. यदि आयुक्त की मृत्यु, उसके त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण उसके पद में कोई रिक्ति होती है तो केन्द्रीय सरकार, धारा 54 के अधीन आयुक्त की नियुक्ति होने तक उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए दो मास से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त कर सकती है ।

* * * * *

उधारों को समेकित करने की निगम की शक्ति ।

193. (1) इस अध्याय में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निगम अपने सभी या किन्हीं उधारों को समेकित कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए नए उधार के लिए (जो "दिल्ली नगरपालिक समेकित उधार, 19....." कहा जाएगा) निविदाएं आमंत्रित कर सकता है और नगरपालिक डिबेंचरों के धारकों को उनके डिबेंचरों का ऐसे उधार के रुक्कों से विनिमय करने के लिए आमंत्रित कर सकता है ।

(2) ऐसे समेकित उधार के निबंधन और उसके रुक्कों का प्ररूप तथा वे दरें जिन पर ऐसे समेकित उधार में विनियम अनुज्ञात किया जाएगा, केन्द्रीय सरकार के

पूर्व अनुमोदन के अधीन होंगे ।

(3) ऐसे समेकित उधार के विनिमय की अवधि, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना, उस सबसे अंतिम तारीख से परे की नहीं होगी जिसके भीतर समेकित किए जाने वाले उधारों में से कोई अन्यथा प्रतिसंदेय होता ।

(4) निगम, निक्षेप निधि में धारा 191 के अधीन अन्तरित रकम को ध्यान में रखते हुए, किसी ऐसे समेकित उधार के निक्षेप निधि में से प्रतिसंदाय की व्यवस्था धारा 190 में अधिकथित रीति से करेगा ।

* * * * *

अध्याय 16

भवन निर्माण संबंधी विनियम

केन्द्रीय सरकार का साधारण अधीक्षण, आदि ।

330क. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त इस अध्याय के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन केन्द्रीय सरकार के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन करेगा ।

* * * * *

नगरपालिक निधि या संपति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए आयुक्त, आदि का दायित्व ।

499. (1) प्रत्येक पार्षद् और धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक नगरपालिक अधिकारी तथा अन्य नगरपालिक कर्मचारी निगम के स्वामित्वाधीन या उनमें निहित किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि की, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए दायी होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार का प्रत्यक्ष परिणाम है तथा प्रतिकर के लिए वाद सरकार की पूर्व मंजूरी से निगम द्वारा या सरकार द्वारा उसके विरुद्ध संस्थित किया जा सकता है ।

(2) ऐसा प्रत्येक वाद उस तारीख के पश्चात्, जिसकी वाद-हेतुक उत्पन्न हुआ है, तीन वर्ष के भीतर संस्थित किया जाएगा ।

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

* * * * *

(6) "आयुक्त" से निगमायुक्त अभिप्रेत है ;

(7) "निगम" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित दिल्ली नगर निगम अभिप्रेत है ;

* * * * *

अध्याय 2

निगम

निगम का गठन

निगम की स्थानपना ।

3. (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, दिल्ली नगर निगम के नाम से ज्ञात एक निग की स्थापना की जाएगी

और दिल्ली का नगरपालिक शासन उसके भारसाधन में होगा ।

(1क) चौदहवीं अनुसूची के अनुसार उपधारा (1) के अधीन स्थापित निगमों के नाम, क्षेत्र तथा सीमाएं ।

(2) निगम पूर्वोक्त नाम वाला एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संपत्ति का अर्जन करने, उसे धारण करने और उसका व्ययन करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकता है और उस पर वाद लाया जा सकता है ।

* * * * *

(5) निगम के स्थापना के समय पार्षदों की कुल संख्या अस्सी होगी :

परन्तु पार्षदों के अस्सी स्थानों में से बारह स्थान अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे ।

(6) निगम की स्थापना के पश्चात् प्रत्येक जनगणना पूरी होने पर स्थानों की संख्या उस जनगणना में अभिनिश्चित दिल्ली की जनसंख्या के आधार पर होगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाएगी और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या और स्थानों की कुल संख्या के बीच जहां तक हो सके वही अनुपात होगा जो अनुसूचित जातियों की जनसंख्या और दिल्ली की कुल जनसंख्या के बीच है :

परन्तु स्थानों की कुल संख्या किसी भी दशा में एक सौ चौंतीस से अधिक या अस्सी से कम नहीं होगी :

परन्तु यह और कि पूर्वोक्त रूप में स्थानों के अवधारण का निगम के तत्समय संगठन पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि निगम का कार्य काल समाप्त नहीं हो जाता :

परन्तु यह भी कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारंभ के ठीक पश्चात् होने वाले निगम के प्रथम निर्वाचन के लिए 1991 की जनगणना के संबंध में प्रकाशित दिल्ली की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों को उस जनगणना में अभिनिश्चित दिल्ली की जनसंख्या समझा जाएगा :

परन्तु यह भी कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों को विभिन्न वार्डों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से आंवटित किया जा सकेगा जैसा केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, निदेश दे ।

* * * * *

निगम के बाध्यकर कृत्य ।

42. इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निम्नलिखित विषयों में से प्रत्येक के लिए पर्याप्त व्यवस्था ऐसे किन्हीं साधनों या उपायों द्वारा करे जिन्हें वह विधिपूर्वक प्रयोग में ला सकता है या अपना सकता है, अर्थात् :--

* * * * *

(बक) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार

करना ; और

* * * * *

90क. (1) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निगमों के स्थापन पर- तत्कालीन निगम के कतिपय अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने ही निगमों के अधिकारी तथा कर्मचारी होंगे ।

(क) तत्कालीन निगमों के वार्ड तथा जोनल स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने नए निगमों के अधिकारी तथा कर्मचारी बन जाएंगे ।

(ख) खंड (क) के अधीन आने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारीयों से भिन्न तत्कालीन निगम के अधिकारी तथा कर्मचारी, स्थानीय निकायों के निदेशक द्वारा तत्कालीन निगम के आयुक्त से परामर्श द्वारा नए निगमों में विभाजित किए जाएंगे ।

* * * * *

203. (1) * * * * संविदाओं के निष्पादन की रीति ।

(3) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ से पूर्व तद्धीन बनाए गए परिनियमों के उपबंधों के अनुसरण में पहले से ही की गई संविदाएं, आयुक्त द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित अपने-अपने निगमों के निमित निष्पादित की गई समझी जाएंगी, जब तक कि संविदा की वैधता की अवधि का अवसान नहीं हो जाता ।

* * * * *

388. कोई भी झाड़ूकश जो किसी भवन की धरेलू झाडबुहार करने के लिए नियोजित है, ऐसी धरेलू झाड़बुहार करना युक्तियुक्त कारण के बिना या अपने नियोजक को चौदह दिन की सूचना दिए बिना बन्द नहीं करेगा । धरेलु झाड़बुहार करने के लिए नियोजित झाड़ूकशों की सेवा की शर्तें ।

* * * * *

अध्याय 23

नियम, विनियम और उपविधियां

479. (1) * * * * नियमों के बारे में अनुपूरक उपबंध ।

(2) धारा 22 के खंड (8) तथा धारा 31 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, परिनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, परिनियम या अधिसूचना नहीं बनाया जाना चाहिए तो त्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु यथास्थिति, नियम, परिनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इस अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (8) तथा धारा 31 के अधीन बनाए गए नियमों के सिवाय धारा 3क की उपधारा (2) तथा धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना और केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 349क के अधीन बनाई गई उपविधियां, बनाए जाने या निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक संदन के समक्ष, जब वह सत्र में हों, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएंगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, उपविधि या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम, उपविधि नहीं बनाई जानी चाहिए या वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी । किन्तु नियम, उपविधि या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

* * * * *

अध्याय 24

नियंत्रण

स्थानीय निकायों का निदेशक ।

484क. (1) सरकार, स्थानीय निकायों का निदेशक सरकार की सहायता तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त करेगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे :-

(i) सामान्य सुविधाएं तथा सेवाओं के संबंध में, जो उस निगम जिसके क्षेत्र में वह स्थित है, के नियंत्रण तथा प्रबंध के अधीन आते हैं, निगम के कार्यों के समन्वय करना ;

(ii) अंतरिम रूप से निगम द्वारा विभिन्न आस्तियों का उपयोग तथा दायित्वों का निर्वहन, विनिश्चित करना ;

(iii) विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियम विरचित करना ;

(iv) तीन निगमों के गठन के पश्चात् कार्यात्मक तथा प्रशासनिक कमीयों या समस्याओं, यदि कोई हों का उसके आयुक्त से परामर्श के साथ समाधान करना ;

(v) टोल केन्द्रों/द्वारों से, जो अपने-अपने निगमों के नियंत्रण के अधीन हैं जिनमें वह उन सिद्धांतों के आधार पर स्थित हैं, जो विहित किए जाएं, टोल कर के संग्रहन तथा हिस्सेदारी का समन्वयन करना ;

(2) स्थानीय निकाय का निदेशक, निगमों के कार्यों के संबंध में, सरकार की ऐसी शक्तियों (धारा 487,490 के अधीन जो शक्ति नहीं है) का निर्वहन करेगा, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निर्बंधनों (जिसके अंतर्गत स्वयं द्वारा ही अवलोकन की शक्ति भी है) के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट करेगी ।

(3) स्थानीय निकायों के निदेशक के कार्यालय की कालावधि तथा सेवा के निबंधन और शर्तें, वह होंगी, जो सरकार नियमों द्वारा विहित करे ।

(4) सरकार, स्थानीय निकाय के निदेशक को ऐसा कर्मचारीवृंद उपलब्ध करवाएगी, जो उपधारा(2) के अधीन उस पर प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझा जाए ।

* * * * *

अस्थायी उपबंध ।

514क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझती है तो, वह निगम की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए उस दिन तक, जिसको दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारंभ के पश्चात् निगम का पहला अधिवेशन किया जाता है, किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है जिसे विशेष अधिकारी कहा जाएगा ।

* * * * *